

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर


क्रमांक:- प.149/मुसप्र/नवीन पंजी. योजना/2011-12/ २५२४

दिनांक:- 12-3-2012

कार्यालय आदेश


मण्डल की मानसरोवर योजना, जयपुर के सैक्टर-1 (भृगु पथ) पर "नवीन पंजीकरण योजना" प्रारंभ किए जाने की निम्नानुसार स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है:-

क्र. सं.	शहर	योजना	आय वर्ग	प्रस्तावित फ्लैट की संख्या	पंजीकरण योजना का नाम	अन्य विवरण
1.	जयपुर	मानसरोवर सैक्टर 01	मध्यम आयवर्ग 'ब' (बैरामेन्ट। रिटल्ट। 10 फ्लोर)	90	मानसरोवर योजना (जयपुर) पंजीकरण योजना 2012	(पूर्व पंजीकृत आवेदकों के साथ नये आवेदकों हेतु) जयपुर शहर के मानसरोवर योजना में पूर्व पंजीकृत आवेदकों को प्रथम वरीयता, प्रताप नगर योजना में पूर्व पंजीकृत आवेदकों को द्वितीय वरीयता तथा इन्दिरा गांधी नगर योजना में पूर्व पंजीकृत आवेदकों को तृतीय वरीयता वर्षवार प्रदान की जायेगी।


आवासन आयुक्त

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव-अध्यक्ष, / आवासन आयुक्त राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. मुख्य अभियन्ता / सचिव / वित्तीय सलाहकार / निदेशक विधि, रा0 आ0 म0, जयपुर।
3. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-द्वितीय, रा0आ0म0, जयपुर को स्वीकृत योजना के क्रियान्वयन के क्रम में निर्देशित किया जाता है कि सक्षम स्तर से योजना प्रारम्भ/अन्तिम तिथी का निर्धारण करवायें, तथा प्रस्तावित फ्लेटों की निर्धारित समय में बुकलेट तैयार करावें एवं योजना प्रारम्भ करने की तिथी से पूर्व जन सम्पर्क अधिकारी के माध्यम से मण्डल नियमानुसार समाचार पत्रों में विज्ञप्ति का प्रकाशन करावें। उक्त कार्यवाही के साथ साथ अन्य आवश्यक कार्यवाही यथा योजना की तैयार बुकलेट की दो-दो प्रतियां अध्यक्ष सचिवालय / आवासन आयुक्त प्रकोष्ठ एवं मुख्य सम्पदा प्रबन्धक प्रकोष्ठ में योजना प्रारम्भ तिथी से तीन दिवस पूर्व उपलब्ध करवाना इत्यादि भी सुनिश्चित करें।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-पी.एण्ड एम., राज0आवासन मण्डल, जयपुर।
5. वरिष्ठ निजी सहायक-मुख्य सम्पदा प्रबन्धक, रा0आ0म0, जयपुर।
6. जन सम्पर्क अधिकारी, रा0आ0म0, जयपुर।
7. उप आवासन आयुक्त-वृत्त-द्वितीय, रा0आ0म0, जयपुर।
8. आवासीय अभियन्ता, खण्ड-षष्ठम्, रा0आ0म0, जयपुर।
9. सहायक कम्प्यूटर प्रोग्रामर, रा.आ.म., जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आदेश की प्रति मण्डल की वेबसाईट पर डलवायें व सभी को मेल करें।
10. रक्षित पत्रावली।


मुख्य सम्पदा प्रबन्धक